संख्या-38/2019/571ई-2/तेरह-2019-02/2018

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 07 मार्च, 2019

विषय:- वर्ष 2019-20 में थोक/फुटकर अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि को राष्ट्रीय बचत पत्र के साथ-साथ एफ0डी0आर0 के माध्यम से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-228/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2019-2020, दिनांक 02 मार्च, 2019 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06-03-2019 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित कार्यवृत्त पत्र संख्या-535 ई-2/तेरह-2019-02/2018, दिनांक 07 मार्च, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित में आबकारी नीति विषयक शासनादेश दिनांक 25-12-2018 के प्रस्तर 2.7.4 में थोक अनुज्ञापनों हेतु किसी फर्म/आसवनी/ब्रिवरी/कम्पनी आदि के द्वारा आवेदन करने की दशा में प्रतिभूति की धनराशि एन0एस0सी0 के स्थान पर एफ0डी0आर0 (जो यथास्थिति जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में प्लेज्ड हो) के माध्यम से जमा कराये जाने का प्राविधान किया जाता है।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in